28वीं वार्षिक रिपोर्ट
28TH ANNUAL REPORT
2015-16

वार्षिक लेखा–जोखा
2015-16

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2015–2016

1. सामान्य

संगत वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013, विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमनों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण – I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है तथा बाद में उसी अनुपात में आयकर के रूप में समायोजित किया जाता है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहित/ निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, परंतु कंपनी के नियंत्रण एवं कब्जे में अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/ पट्टे के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाऊनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट आफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर चिन्हित कर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट आफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजीगत कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय (ई डी सी) को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो, विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिन पर सौदा किया गया था।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बन्द दर पर प्रयोग की जाती है। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/ समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें ये उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

iii. 1500/– रुपये से अधिक पर 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों को 'उपयोग के लिए तैयार होने' की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की शेष उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

10.आय तथा व्यय

आय को मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अंनंतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री तथा परिनिर्धारित हानियों/वारंटी दावों के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती आधार के सुनिश्चित होने पर इसे हिसाब में शामिल लिया जाता है।

iv. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाएगा।

v. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

vi. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

vii बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वाधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विर्निदिष्ट प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

xiii. सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई खर्च न की गई धनराशि को समाप्त न किए जाने योग्य निधि में अलग से रखा जाएगा।

xiv. तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूलनीय योग्य न घोषित किया जाए तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को मामले दर मामले आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब तक अंततः उगाही करना संभव न हो सके।

11.कर्मचारियों के हितलाभ

i. कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) के संबंध में सेवानिवृति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी, जैसा कि एएस–15 में परिभाषित किया गया है, का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12.विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को पूरी तरह से व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जा रहा है।

13.आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाएं जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14.नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह विवरण ''नगदी प्रवाह विवरण'' पर लेखाकरण मानक (एएस)–3 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके के अनुसरण में तैयार किया जाता है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देनदारियां					
शेयर धारकों की निधियां					
क) शेयर पूंजी	1	3,55,888		3,52,888	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	4,85,798	8,41,686	4,30,943	7,83,831
गैर चालू देनदारियां					
क) दीर्घकालिक ऋण	3	3,49,792		3,27,566	
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	22,384		23,094	
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	32,733	4,04,909	32,246	3,82,906
चालू देनदारियां					
क) अल्पकालिक ऋण	6	3,678		43,634	
ख) व्यापार देयताएं	7	49		72	
ग) अन्य चालू देनदारियां	8	64,511		60,187	
घ) अल्पकालिक प्रावधान	9	40,081	1,08,319	37,047	1,40,940
योग			**13,54,914**		**13,07,677**
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	7,50,858		7,95,592	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	62		80	
(iii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	11	2,39,066		1,67,420	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	11	33	9,90,019	33	9,63,125
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		62,168		45,794
ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13		69,401		41,181
घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14		142		143

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
क) वस्तु सूचियां	15	4,997		5,094	
ख) प्राप्य व्यापार	16	2,07,197		2,38,719	
ग) नकदी तथा नकदी समकक्ष राशियां	17	7,595		4,135	
घ) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	18	11,261		7,711	
ड) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	2,134	2,33,184	1,775	2,57,434
योग			**13,54,914**		**13,07,677**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20		2,46,649		2,39,716
अन्य आय	21		1,316		1,077
कुल राजस्व			**2,47,965**		**2,40,793**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		23,020		22,438
वित्त लागत	23		32,887		43,878
मूल्यह्रास और परिशोधन	10		49,277		48,386
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	24		18,096		17,855
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	25		9		12,638
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में			0		7,801
कुल व्यय			**1,23,289**		**1,52,996**
पूर्वावधि मदों, असाधारण मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			**1,24,676**		**87,797**
पूर्वावधि व्यय (आय)–निवल	26		1,066		13,992
असाधारण मदें–(आय)/व्यय– निवल			34,829		0
कर पूर्व लाभ			**88,781**		**73,805**
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आयकर		24,253		18,323	
संपत्ति कर		0	24,253	53	18,376
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(16,374)	(16,374)	(13,686)	(13,686)
वर्ष के लिए लाभ			**80,902**		**69,115**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
मूल (₹)			228.26		197.60
डाइल्यूटिड (₹)			228.26		197.60

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ, पूर्वावधि समायोजन एवं असाधारण मदें		**1,24,676**		**87,797**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास (पूर्वावधि मूल्यह्रास सहित)	50,335		48,037	
प्रावधान	9		12,638	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	-		7,801	
ऋणों पर ब्याज	32,887		43,878	
पूर्वावधि समायोजन	(1,066)		(13,992)	
असाधारण मदें	(34,829)	47,336	-	98,362
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,72,012**		**1,86,159**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	94		(1,775)	
प्राप्य व्यापार	31,522		(66,303)	
अन्य परिसंपत्तियां	(358)		(604)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(2,309)		(17,474)	
व्यापार देय और देनदारियां	8,596		(846)	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	3,521	41,066	30,780	(56,222)
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		**2,13,078**		**1,29,937**
निगम कर		(24,253)		(18,376)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,88,825**		**1,11,561**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तनः–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(83,778)		(62,625)	
निर्माण स्टोर	-		19	
पूंजी अग्रिम	(29,467)		11,344	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(1,13,245)**		**(51,262)**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

Particulars	31 मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	3,000		5,579	
अन्य पूंजीगत आरक्षित निधि	0		(472)	
उधारियां	(22,735)		(8,285)	
ऋणों पर ब्याज	(32,887)		(43,878)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(19,498)		(16,850)	
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(72,120)**		**(63,906)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**3,460**		**(3,607)**
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		**4,135**		**7,742**
च. अंतिम नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**7,595**		**4,135**

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 37 लाख रू. (गत वर्ष 37 लाख रू.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध / पुनःर्व्यवस्थित / पुनः दर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी :1
शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत					
1000/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,55,88,817	3,55,888	3,52,88,817	3,52,888
1000/–रू. वाले प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

टिप्पणी 1.1
शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		3,52,88,817	3,52,888	3,47,30,917	3,47,309
निर्गत		3,00,000	3,000	5,57,900	5,579
कमी	0	0	0	0	0
अंतिम		**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

टिप्पणी 1.2
कंपनी में 5 %से अधिक ,शेयर वाले शेयर धारकों की संख्या

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	%	शेयरों की सं.	%
5 % से अधिक शेयर धारक					
1. भारत सरकार		2,62,39,417	73.73	2,59,39,417	73.51
2. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	26.27	93,49,400	26.49
कुल		**3,55,88,817**	**100.00**	**3,52,88,817**	**100.00**

टिप्पणी : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र.सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं:					
मूल्यह्रास में समायोजन		54,129	89,989	47,580	96,538
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजना के लिए)					
आरंभिक शेष		0		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	0	(472)	0
उप जोड़ "क"			**89,989**		**96,538**
लाभ और हानि लेखे में अधिशेष					
आरंभिक शेष		3,34,405		2,82,140	
जोड़ें: पी एंड एल विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ		**80,902**		**69,115**	
विनियोजन के लिए कुल लाभ			**4,15,307**		**3,51,255**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		0	
प्रस्तावित लाभांश		16,200	16,200	14,000	14,000
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर–अंतरिम		0		0	
लाभांश वितरण कर–प्रस्तावित		3,298	3,298	2,850	2,850
उप जोड़ "ख"			**3,95,809**		**3,34,405**
कुल (क+ख)			**4,85,798**		**4,30,943**

2.1 पीएचआरडी अनुदान को सीडब्ल्यूआईपी के साथ वीपीएचईपी के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय के संबंध में समायोजित किया गया है।

टिप्पणीः– 3

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
क. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			58,681		67,708
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए)#					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			55,575		67,275
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए– जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.75 से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			36,789		43,796
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001– (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष)			47,840		58,536
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई)– 32677052247 (टिहरी पी एस पी के लिए)##					
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर / आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 10.5 प्रतिशत			1,16,632		73,999
कुल (क)			**3,15,517**		**3,11,314**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
ख. अप्रतिभूत **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)** **विश्व बैंक ऋण–8078–आई एन (वीपीएचईपी के लिए)$** (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों में छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/ एल आई बी ओ आर + भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 1.15 प्रतिशत)		34,275			16,252
कुल (ख)		**34,275**			**16,252**
कुल (क+ख)		**3,49,792**			**3,27,566**

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपस्करों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

\# कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण

\## टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत,दीर्घकालिक ऋण टिप्पणी सं. 29.7 भी देखें।

$ संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित । इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी: 4

अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के बाबत आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		21,271		21,271	
जोड़ें: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित		0	21,271	0	21,271
देनदारियां					
व्यय के लिए		0		0	
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए					
अन्यों के लिए		38	38	203	203
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		1,075		1,620	
अन्य देनदारियां		0	1,075	0	1,620
कुल		**22,384**		**23,094**	

4.1 मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) के तहत दिखाई गई राशि टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान एकत्रित कर ली गई है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009–2014 में एएडी का प्रावधान वापस ले लिया गया है। तदनुसार परवर्ती वर्षों में एएडी के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी: 5
दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		31,998	8,820	(5,712)	(2,861)	32,245
II. अन्य		248	240	0	0	488
कुल		**32,246**	**9,060**	**(5,712)**	**(2,861)**	**32,733**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**22,338**	**11,840**	**(347)**	**(1,585)**	**32,246**

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में ए एस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी: 6
अल्पकालिक उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*					
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर, आधार दर अर्थात 9.6 प्रतिशत)			3,678		43,634
कुल			**3,678**		**43,634**

* परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स, औजार एवं अनुषांगिक, ईंधन स्टाक, स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के रू. 3677 लाख रू. का ओडी सुरक्षित है।

टिप्पणी: 7
व्यापार देय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
व्यापार देय–एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय–एमएसएमईडी से इतर			49		72
कुल			**49**		**72**

टिप्पणीः 8
अन्य वर्तमान देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत * (भारतीय मुद्रा में ऋण)			38,431		43,436
कुल			**38,431**		**43,436**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्षम और लघु उद्यमों के लिए .		36		0	
अन्य के लिए		14,195	14,231	5,970	5,970
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		3,444		2,539	
अन्य देनदारियां		3,661	7,105	3,372	5,911
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		4,744		4,870	
अन्य देनदारियां		0	4,744	0	4,870
कुल			**26,080**		**16,751**
कुल देनदारियां			**64,511**		**60,187**

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–3 में दिए गए हैं।

टिप्पणीः 9
अल्पकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2016 के लिए			31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. निर्माण कार्य		800	177	(450)	(38)	489
II. कर्मचारियों से संबंधित		15,853	5,726	(3,075)	(10,162)	8,342
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		14,000	16,200	0	(14,000)	16,200
IV. लाभांश वितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		2,850	3,298	0	(2,850)	3,298
III. अन्य		3,544	35,032	(5,393)	(21,431)	11,752
कुल		**37,047**	**60,433**	**(8,918)**	**(48,481)**	**40,081**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**16,175**	**36,024**	**(1,139)**	**(14,013)**	**37,047**

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 10 अचल परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	600	-	-	600	69	21	-	90	510	531
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,842	72	-	3,914	-	-	-	-	3,914	3,842
3. अवर्गीकृत भूमि	1,52,882	4,161	-	1,57,043	37,063	5,510	12	42,585	1,14,458	1,15,819
4. भवन	78,656	3,620	(43)	82,233	11,796	2,764	240	14,800	67,433	66,860
5. अस्थायी भवन ढांचे	990	133	-	1,123	987	132	4	1,123	-	3
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	13,512	203	-	13,715	1,779	476	-	2,255	11,460	11,733
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,477	25	(2)	1,500	427	74	-	501	999	1,050
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,100	79	-	2,179	1,170	57	-	1,227	952	930
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,31,101	560	-	2,31,661	73,855	12,278	119	86,252	1,45,409	1,57,246
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,297	93	(35)	1,355	777	100	(23)	854	501	520
11. विद्युत संस्थापनाएं	909	-	(19)	890	258	50	(15)	293	597	651
12. पारेषण लाइनें	2,394	9	-	2,403	662	127	-	789	1,614	1,732
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	4,611	308	(24)	4,895	1,661	287	(5)	1,943	2,952	2,950
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,884	223	(3)	2,104	671	121	(3)	789	1,315	1,213
15. वाहन	1,309	121	(43)	1,387	582	84	(38)	628	759	727
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	28	4	-	32	90	94
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,07,278	3,320	-	5,10,598	1,66,914	26,982	701	1,94,597	3,16,001	3,40,364
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,39,915	184	(221)	1,39,878	50,608	7,436	(37)	58,007	81,871	89,307
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	20	-	3	23	-	-	-	-	23	20
उप जोड़	**11,44,899**	**13,111**	**(387)**	**11,57,623**	**3,49,307**	**56,503**	**955**	**4,06,765**	**7,50,858**	**7,95,592**
पिछले वर्ष के आंकडे	**11,37,526**	**11,722**	**(4,349)**	**11,44,899**	**2,94,110**	**55,789**	**(592)**	**3,49,307**	**7,95,592**	**8,43,416**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	376	17	-	393	296	35	-	331	62	80
उप जोड़	**376**	**17**	**-**	**393**	**296**	**35**	**-**	**331**	**62**	**80**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**337**	**39**	**-**	**376**	**263**	**33**	**-**	**296**	**80**	**74**

मूल्य ह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास	712		772	
लाभ हानि लेखा को अंतरित मूल्यह्रास	49,277		48,386	
आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	6,549	56,538	6,664	55,822
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान वर्ष के दौरान रू.1500.00 से अधिक परंतु रू. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	18		15	

10.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रू. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

टिप्पणी :–11
पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए				
		01 अप्रैल, 15 की स्थिति अनुसार	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान वृद्धि	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान समायोजन	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,316	2,704	-	(1,767)	5,253
सड़क, पुल तथा पुलिया		1,014	194	(8)	(210)	990
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		11	35	-	-	46
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		60,519	27,025	(10,432)	(608)	76,504
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		83,638	46,176	10,407	(5,371)	1,34,850
जलागम क्षेत्र वनीकरण		428	473	-	-	901
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		2,606	114	-	(9)	2,711
अन्य		24	3,058	-	(24)	3,058
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,764	30	-	-	9,794
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	2,105	855	(2,105)	-	855
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)		2,995	1,210	(3)	(98)	4,104
योग		**1,67,420**	**81,874**	**(2,141)**	**(8,087)**	**2,39,066**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**1,11,712**	**65,784**	**(3,327)**	**(6,749)**	**1,67,420**
अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर अमूर्त परिसंपत्तियां विकासाधीन		33	0	0	0	33
उप जोड़		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**0**	**47**	**0**	**(14)**	**33**

टिप्पणी : 11.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		8,827		13,954	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		557		878	
पेंशन निधि		435		645	
उपदान		188		1,420	
कल्याण		93	10,100	167	17,064
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		78		107	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		236	314	383	490
दर एवं कर			2		27
विद्युत एवं ईंधन			601		540
बीमा			8		9
संचार			120		140
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		2		2	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		0		1	
भवन		300		289	
अन्य		314	616	401	693
यात्रा एवं वाहन			297		425
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			364		267
सुरक्षा			228		199
प्रचार तथा जनसंपर्क			33		90
अन्य सामान्य व्यय			672		924
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			2		40
मूल्यह्रास	**10**		**712**		**772**
कुल व्यय (क)			**14,069**		**21,680**
प्राप्तियां					
अन्य आय					
ब्याज	**21**				
बैंक जमा से		1		10	
कर्मचारियों से		102		145	
अन्य से		9	112	5	160

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			11		2
किराया प्राप्तियां			58		69
विविध प्राप्तियां			291		88
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			74		91
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0		7
कुल प्राप्तियां (ख)			**546**		**417**
पूर्वावधि समायोजन	26		1		38
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**13,524**		**21,301**
कराधान के लिए प्रावधान	27				
सम्पत्ति कर		0	0	27	27
कराधान सहित निवल व्यय			**13,524**		**21,328**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			2,105		1,633
कुल ईडीसी			**15,629**		**22,961**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति		14,045		20,264	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		729	14,774	592	20,856
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**855**		**2,105**

टिप्पणी :– 12
आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		71,456	68,481	55,082	52,107
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
कुल			**62,168**		**45,794**

टिप्पणी :– 13
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंकगारंटी के बावत		28,842		17,871	
ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		18,947		6,626	
iii) अन्य		26,281		20,215	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		67	74,137	179	44,891
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,355		12,576
उप जोड़–पूंजीगत अग्रिम			**61,782**		**32,315**
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,754		2,803	
अप्रतिभूत		1,393	4,147	1,452	4,255
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,354		2,238	
अप्रतिभूत		248	2,602	183	2,421
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		1	
अप्रतिभूत		0	0	0	1
निदेशकों को दिए गए ब्याज पर उपार्जित ऋण					
प्रतिभूत		2		3	
अप्रतिभूत		0	2	0	3
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु रुप में या निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		132		184	
निदेशकों को		0		0	
खरीददारों को		0		0	
अन्यों को		25	157	1,423	1,607
जमा					
प्रतिभूति जमा		170		189	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		540		389	
अन्य जमा		1	711	1	579
उप–जोड़			**7,619**		**8,866**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
उप जोड़ – अग्रिम			**7,619**		**8,866**
कुल ऋण और अग्रिम			**69,401**		**41,181**
नोटः निदेशकों द्वारा देय					
मूल			0		1
ब्याज			2		3
योग			**2**		**4**
नोटः अधिकारियों द्वारा देय					
मूल			3		4
ब्याज			5		5
योग			**8**		**9**

टिप्पणी :– 14
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय		142		143	
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं		0	142	0	143
योग			**142**		**143**

टिप्पणी :– 15
वस्तु सूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
वस्तूसूचियां					
(भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		388		722	
मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल स्टोर एवं स्पेयर्स		4,386		4,384	
अन्य (भंडारण और कल पुर्जो सहित)		229		299	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		39	5,042	0	5,405
घटाएं : अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			45		311
योग			**4,997**		**5,094**

टिप्पणी :– 16
व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण(निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		1,25,192		26,493	
संदिग्ध समझे गए		20,774	1,45,966	0	26,493
घटाएंः–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			20,774		0
(ii) अन्य ऋण(निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		70,335		2,09,082	
संदिग्ध समझे गए		1,882	72,217	0	2,09,082
घटाएंः–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			1,882		0
(iii) विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		11,670		3,144	
संदिग्ध समझे गए		2,201	13,871	0	3,144
घटाएंः–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,201		0
कुल			**2,07,197**		**2,38,719**

16.1 व्यापार प्राप्य में रू. 13871 लाख निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति रू. 46125 लाख एवं विनियामक देयताएं रू. 32254 लाख) गत वर्ष रू. 3144 लाख (विनियामक परिसंपत्ति रू. 32666 लाख एवं विनियामक देयताएं रू.29522 लाख), शामिल है।

टिप्पणी:– 17 नकदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
बैंकों में शेष (बैंकों में आटो नगदी एवं नगदी स्वरूप –स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियों सहित)			7,553		4,095
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट स्टांप			1		0
हस्तगत नकदी			4		3
अन्य बैंकों के पास शेष					
अन्य (लिएन के तहत बैंकों में शेष जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है)			37		37
योग			**7,595**		**4,135**

टिप्पणी :– 18 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		766		742	
अप्रतिभूत		182	948	145	887
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		199		155	
अप्रतिभूत		1	200	3	158
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		1		3	
अप्रतिभूत		0	1	0	3
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		2	2	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		403		419	
खरीददारों के लिए		1,443		1,177	
अन्य के लिए		1,890	3,736	357	1,953
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		196		167	
जमा किया गया कर		4,039		2,446	
सरकार/न्यायालय में जमा राषियां		2,145		2,104	
अन्य जमा राशियां		1	6,381	0	4,717
उप जोड़			**11,269**		**7,719**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			**11,261**		**7,711**
कुल ऋण और अग्रिम			**11,261**		**7,711**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन			1		3
ब्याज			2		1
कुल			**3**		**4**
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन			1		2
ब्याज			1		1
योग			**2**		**3**

टिप्पणी :– 19
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			2,107		1,760
उपार्जित ब्याज			27		15
योग			**2,134**		**1,775**

टिप्पणी :– 20
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 के अनुसार		31 मार्च, 2015 के अनुसार	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,45,083		2,37,567	
घटाएं :–मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,45,083	0	2,37,567
विचलन व्यवस्थापन / संकुचन प्रभार			1,481		1,578
परामर्श से आय			85		571
योग			**2,46,649**		**2,39,716**

20.1 माननीय सीईआरसी ने टिहरी एचईपी के लिए दिनांक 27.01.2015 का 2009–14 आदेश जारी किया हैं जिसमें आदेश की तारीख से रू. 9011 लाख की छः समान किश्तों में छः महीने के अंदर ब्याज को वसूल करने की अनुमति दी है। वर्तमान अवधि में वसूल किए जाने वाले विनियामक ब्याज को बिक्री के रूप मे मान्यता दी है क्योंकि यह टैरिफ का अभिन्न भाग है।

कंपनी ने 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की है। अंतिम आदेश प्राप्त होने तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 10(i) के अनुसार प्रचलित टैरिफ विनिमय के रूप में एएफसी के दावे के आधार पर बिक्री को मान्यता दी है।

टिप्पणी :– 21
अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रू. 257327.00 शामिल है, पिछले वर्ष 91934.00रू.)		55		43	
कर्मचारियों से		412		397	
अन्य		32	499	20	460
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			13		15
किराया प्राप्तियां			141		129
विविध प्राप्तियां			698		514
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			469		319
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			42		57
योग			**1,862**		**1,494**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित	11.1		546		417
योग			**1,316**		**1,077**

टिप्पणी :– 22
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं हितलाभ			27,866		32,083
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			1,682		1,982
पेंशन निधि			1,460		1,486
उपदान			1,572		3,388
कल्याण व्यय			540		563
योग			**33,120**		**39,502**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित	11.1		10,100		17,064
योग			**23,020**		**22,438**

टिप्पणी :– 23
वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			45,003		49,325
योग			**45,003**		**49,325**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			12,116		5,447
योग			**32,887**		**43,878**

टिप्पणी :– 24
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		163		154	
कर्मचारी आवास किराया		699	862	718	872
दर एवं कर			141		132
विद्युत एवं ईंधन			1,573		1,458
बीमा			2,240		1,833
संचार			369		342
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,659		2,304	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		800		628	
भवन		1,096		1,112	
अन्य		2,422	5,977	2,290	6,334
यात्रा एवं वाहन			999		913
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,025		953
सुरक्षा			2,824		2,227
प्रचार तथा जनसंपर्क			298		322
अन्य सामान्य व्यय			2,240		2,376
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			25		68
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			729		593
अनुसंधान और विकास			345		154
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			30		22
सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय			1,335		2,909
ग्राहकों को छूट			341		191
योग			**21,353**		**21,699**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,257		3,844
योग			**18,096**		**17,855**

टिप्पणी :– 25
प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			6		12,576
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			3		62
योग			**9**		**12,638**
घटाएं : -					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
योग			**9**		**12,638**

टिप्पणी :– 26
पूर्वावधि आय/व्यय (शुद्ध)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
विविध प्राप्ति		6	6	27	27
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय		0		1	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		13		18	
अन्य सामान्य व्यय		0		13	
मूल्यह्रास		1,058		(305)	
किराया दर एवं कर		2		0	
विनियामक समायोजन		0		14,330	
विविध – अन्य		0	1,073	0	14,057
योग			**1,067**		**14,030**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		1		38
योग			**1,066**		**13,992**

टिप्पणी :– 27
कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			24,253		18,323
उप जोड़			**24,253**		**18,323**
योग			**24,253**		**18,323**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			0		80
उप जोड़			**0**		**80**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		27
योग			**0**		**53**

28. आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया हैः–

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 1	**लेखांकन नीतियों का प्रकटन**	• वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों में दी गई हैं।
एएस 2	**वस्तु सूची का मूल्यांकन**	• कंपनी जल विद्युत का उत्पादन करने में लगी हुई है। इसलिए इसके पास कच्चा माल/डब्ल्यू आई पी नहीं होता है। उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
एएस 3	**नकदी प्रवाह विवरण**	• नकदी प्रवाह विवरण, उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 14 में प्रकटित किए गए अनुसार एएस–3 के पैरा 18 (ख) के अनुसार अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर वित्तीय विवरण के भाग के रूप में तैयार किया जा रहा है।
एएस 4	**तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं**	• तुलन पत्र की तारीख के बाद इस तरह की कोई बड़ी घटना की रिपोर्ट करने योग्य स्थिति नहीं आई।
एएस 5	**अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**	• ऐसी कोई अतिरिक्त सामान्य आय/ व्यय और पूर्व अवधि की मदें (आय/व्यय) संबंधित नोट में प्रकट कर दी गई हैं।
एएस 6	**मूल्यह्रास लेखांकन**	• लेखांकन नीति सं. 8 में कहे गए अनुसार सी ई आर सी विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। एएस 6 के तहत यथावश्यक ऐतिहासिक लागत वर्ष के लिए मूल्यह्रास, संचित मूल्यह्रास आदि जैसे आवश्यक प्रकटन नोट सं. 10 – अचल संपत्तियों में प्रकटित कर दिए गए हैं।
एएस 7	**निर्माण अनुबंधों के लिए लेखांकन**	• आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने निर्माण संबंधी कोई अनुबंध शुरु नहीं किया है। इस प्रकार यह लागू नहीं है।
एएस 8	**अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन**	• एएस वापस ले लिया गया है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 9	राजस्व को मान्यता	• कंपनी, सीईआरसी द्वारा जारी किए जाने वाले लंबित अंतिम आदेश के लंबित होने पर टैरिफ विनियमन के आधार पर निर्धारित सीईआरसी और एफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा अनुमत्य अंतिम टैरिफ के आधार पर अपने ब्रिकी राजस्व को मान्यता देती रही है। उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 10(i) से 10 (iv) और टिप्पणी सं. 20.1 में कंपनी द्वारा अपनाए गए बिक्री राजस्व तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है।
एएस 10	स्थिर परिसंपत्तियों के लिए लेखांकन	• खरीदी गई/स्वयं निर्मित स्थिर परिसंपत्तियों की लागत का लेखांकन एएस–10 के अनुसार कर दिया गया है। • लेखांकन अवधि के शुरु और अंत में परिसंपत्तियों के सकल/निवल खाता मूल्य के संबंध में आवश्यक प्रकटन, अंतिम विवरण में प्रकट किया गया है जिसमें की गई वृद्धि परित्यक्त/बेची गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है।
एएस 11	विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन	• लेखांकन नीति संख्या 7 (i) से 7 (iv) के तहत विदेशी लेन–देन से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया गया है।
एएस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने सिंचाई घटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त राशि को एएस– 12 के अनुसार मान्यता दे दी है। विवरणों का महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3 में प्रकटन किया गया है।
एएस 13	निवेशों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 14	समामेलन के लिए लेखांकन	• लागू नहीं
एएस 15	कर्मचारी प्रसुविधाएं	• कंपनी की परिभाषित हित योजनाएं एवं परिभाषित अंशदायी स्कीमें दोनों के अधीन कई कर्मचारी कल्याणकारी स्कीमें हैं। • <u>परिभाषित अंशदायी योजना</u> क. सीपीएफ ख. अधिवर्षिता पेंशन निधि • <u>परिभाषित हित योजनाएं</u> क. ग्रेच्युटी ख. अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश ग. सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा घ. सेवानिवृत्ति बैगेज भत्ता

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 16	उधारी लागत	• कंपनी ने वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी लागत के लिए 12116 लाख रू. उधारी लागत स्वीकार की है। उधारी लागत की मान्यता को लेखांकन नीति संख्या 6 (i) से 6 (ii) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 17	खंड रिपोर्टिंग	• वर्तमान में कंपनी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत बनाने में संलग्न है। इसलिए खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
एएस 18	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	• वर्ष के दौरान सेवा टीएचडीसी को सीएसआर भुगतान को छोड़कर संबद्ध पक्ष का कोई लेन–देन नहीं हुआ है। तथापि प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्मिकों के पारिश्रमिक का नोट संख्या 29.9 द्वारा प्रकट किया गया है।
एएस 19	पट्टे	• वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई वित्तीय पट्टा कार्यान्वित नहीं किया है। नोट संख्या 29.13 के अनुसार प्रचालन पट्टा लेन–देन का प्रकटन किया गया है।
एएस 20	प्रति शेयर आय	• कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है, इसलिए बुनियादी और डाइल्यूटिड दोनों ई पी एस पूर्ववत रहते है तथा उन्हें लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया गया है।
एएस 21	समेकित वित्तीय विवरण	• टीएचडीसीआईएल की कोई सहायक/धारक कंपनी नहीं है इसलिए एएस 21 लागू नहीं है।
एएस 22	आय पर लगने वाले करों का लेखांकन	• वर्ष 2015–16 के दौरान 16374 लाख रु. की आस्थगित कर परिसंपत्ति लेखांकित की गई है।
एएस 23	समेकित वित्तीय विवरणों कंपनी की सहायक कंपनियों में निवेशों का लेखांकन	• कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है, इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 24	प्रचालन बंद करना	• वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नहीं की गई है, इस प्रकार कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।
एएस 25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	• यद्यपि कंपनी पर एएस–25 लागू नही होता है, फिर भी यह अच्छी प्रशासन प्रणाली के रुप में अंतरिम वित्तीय विवरण तैयार करती रही है।
एएस 26	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है तथा कुछ समय से उनका परिशोधन करती रही है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 (vi) में स्पष्ट किया गया है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 27	संयुक्त खातों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग	• कंपनी की कोई संयुक्त उद्यम परियोजना नहीं है। इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 28	परिसंपत्ति का इम्पेयरमेंट	• वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं की गई है।
एएस 29	प्रावधान आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां	• कपंनी, कंपनी पर वित्तीय जिम्मेदारियों की संभावना/निश्चितता तथा तदनुसार नकदी प्रवाह जैसे भिन्न कारकों को ध्यान में रख कर सर्वोत्तम मूल्यांकन करती है। अन्य मामलों पर आकस्मिक देनदारी के रुप में विचार किया जाता है।
एएस 30	वित्तीय लिखतः मान्यता और मापन	• संबंधित मानक वित्तीय लिखतों के मानक प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के संबंध में है इसलिए ये एएस लागू नहीं है।
एएस 31	वित्तीय लिखत प्रस्तुतीकरण	
एएस 32	वित्तीय लिखत प्रकटन	

टिप्पणी सं. – 29 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) 289750 लाख रूपए (गत वर्ष 336836 लाख रू.) है।

2. आकस्मिक देयताएं (लाख रू. में)

		2015-16	2014-15
(i) कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है :			
माध्यस्थम/अदालती मामले			
मूलधन			
सरकार/सीपीएसई		28701	2421
अन्य		103551	104423
	(क)	132252	106844
ब्याज			
सरकार/सीपीएसई		11990	218
अन्य		147716	96070
	(ख)	159706	96288
कुल जोड़	(क+ख)	**291958**	**203132**

उपर्युक्त माध्यस्थम/अदालती मामलों में ये शामिल हैं:–

(क) कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी 371 लाख रु. है (गत वर्ष 371 लाख रु.)।

(ख) विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गयी 351 लाख रूपये (गत वर्ष 351 लाख रूपये) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।

(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 323 लाख रूपये (गत वर्ष 173 लाख रूपये) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	571	186
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	411	232

3. केवल ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 69 लाख रुपये एवं 1184 रूपये(गत वर्ष 36 लाख रुपये एवं 1203 रूपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 4 एवं 8 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 4519 लाख रुपये (गत वर्ष 4159 लाख रुपये) की राशि ईएमडी एवं प्रतिभूत जमा के रूप में भी प्राप्त की है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 4 लाख रूपये/(गत वर्ष शून्य राशि) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 12116 लाख रुपये (गत वर्ष 5447 लाख रु.) है।

5. (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं. 8–3/89–एफसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन करने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2497.54 हेक्टेयर(गत वर्ष 2497.53 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 1882.30 हेक्टेयर भूमि का कंपनी के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। शेष भूमि 615.24 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो काम्पलैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा भी टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफसी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करे। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में भरने दिया जा रहा है, जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 28 फ्लैट (गत वर्ष 30 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. टीएचडीसीआईएल ने एसबीआई की अगुवाई वाले सहायता संघ (कंर्सोटियम) के साथ निर्माणाधीन टिहरी पीएसपी के वास्ते रू. 1,50,000 लाख के दीर्घावधि ऋण हेतु अनुबंध किया। इस परियोजना को फरवरी 2016 तक पूरा किया जाना था। परियोजना की पूर्णता अवधि को पुनः निर्धारित किया गया और इसकी पूर्णता को यथासंभव शीघ्रताशीघ्र करने के प्रयास किए गए। मूल ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार समग्र ऋण राशि का फरवरी, 2016 तक आहरण किया जा सकता था तथा अगस्त, 2016 से पुनर्भुगतान करना तय था। चूंकि समस्त स्वीकृत राशि का आहरण नहीं किया गया तथा कमीशनिंग (पूर्णता) अवधि को भी पुनः निर्धारित किया गया। टीएचडीसीआईएल ने ऋणदाता संस्थानों से फरवरी, 2018 तक संवितरण अवधि बढ़ाने और तदनुसार पुर्नभुगतान सूची निर्धारित करने के लिए औपचारिक पुष्टि करने का अनुरोध किया। टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर विचार करते हुए ऋणदाताओं ने निधि जारी कर दी। संपूर्ण आहरित ऋण राशि को दीर्घ–अवधि ऋण के रूप में मान्य करने संबंधी औपचारिक सूचना प्राप्त होने तक कोई पुनर्भुगतान देय नहीं हुआ।

8. सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन–

एएस–18 द्वारा यथापेक्षित ''संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण'' नीचे दिया गया है–

क) संबद्ध पक्षकारों की सूचीः

i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1.	श्री आर. एस. टी. शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री एस के बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
5.	श्री एस.क्यू अहमद	कंपनी सचिव

ii) अन्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ के लिए नहीं, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गई।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 1335 लाख रूपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 273 लाख रुपये (गत वर्ष 152 लाख रुपये) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

9. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) – बेसिक और डाइल्यूटिड

प्रति शेयर अर्जन की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और डाइल्यूटिड) इस प्रकार हैं:

	2015-16	2014-15
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	₹ 80901.00	₹ 69115.00
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	बेसिकः 35442531.17 डाइल्यूटिडः 35442531.17	बेसिकः 34978077 डाइल्यूटिडः 34978077
प्रतिशेयर अर्जन रुपये बेसिकः डाइल्यूटिडः	₹ 228.26 ₹ 228.26	₹ 197.60 ₹ 197.60
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	₹ 1000	₹ 1000

10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखांकन'' के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 16374 लाख रुपये (गत वर्ष 13686 लाख रुपये) जो कि आस्थगित देयता में वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नवत है:

रुपये लाख में

क्र. सं.		31.03.2016	31.03.2015
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ए)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	44693	37216
ii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	6837	6837
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	13064	4460
iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	6862	6569
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ए)	**71456**	**55082**
	आस्थगित कर देयताएं (बी)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3572	3572
ii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	-472	-472
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	-1	-1
iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	-124	-124
	आस्थगित कर देयता(बी)	**2975**	**2975**
	शुद्ध आस्थगित कर (देयता)/परिसम्पत्तियां (ए–बी)	**68481**	**52107**

11.(i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ के लिए नहीं, सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से खर्च किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित खर्चों का शीर्ष	राशि लाख में
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पीने का पानी	557
02	शिक्षा एवं कौशल विकास	564
03	सामाजिक कल्याण	18
04	वन एवं पर्यावरण पशु कल्याण आदि	4
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	3
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	189
	जोड़ लाख रू. में	**1335**

ख. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार अनुबंधित 1335 लाख रू. (गत वर्ष 1377 लाख रू.) की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में 1335 लाख रू.(गत वर्ष 2909 लाख रू.) की राशि खर्च की जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की शर्तों के अनुसार पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% के बराबर है

ग. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान नकद रूप से तथा खर्च की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद रूप से भुगतान किए जाने वाले खर्च का विवरण निम्नवत है–

(रुपये लाख में)

		नकद रूप में	भुगतान किया जाने वाले	जोड़
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	636	0.00	636
(ii)	क के अनुसार एसईडब्ल्यूए – टीएचडीसी के माध्यम से (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	699	0.00	699

(ii) अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित प्रकटन

कंपनी ने वर्ष 2015–16 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 346 लाख रू.(गत वर्ष 390 लाख रू.) खर्च किए हैं।

12. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं को 36 लाख रू. (गत वर्ष शून्य रू.) की मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया।

13. कंपनी ने कर्मचारियों / कार्यालयों / अतिथि गृहों / विश्राम शिविरों और वाहनों के लिए परिसर पट्टे / किराए पर लिए हैं। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे पर लिए गए स्थानों के भुगतान के लिए राशि में 879 लाख (गत वर्ष 829 लाख) शामिल है (निवल वसूलियां)।

14. i) कंपनी, परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित नियत प्रतिशत पर परिवार पेंशन सहित नियोक्ता अंशदान का भुगतान भविष्य निधि को कर रही है। बीमांकित मूल्य के आधार पर बहियों में 13 लाख रू. (गत वर्ष 363 लाख रू.) प्रदान किए गए।

ii) ''कर्मचारियों को लाभ'' के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2016 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –I निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	7.75%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	6.50%	6.00%	6.00%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

रूपए लाख में

(ऋण शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	13741 {11049}	5875 {4909}	3692 {2326}	9382 {4664}	735 {632}
ब्याज लागत	1099 {939}	470 {417}	295 {198}	751 {396)}	59 {53}
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	703 {675}	216 {328}	135 {117}	492 {462}	47 {43}
भुगतान किया गया लाभ	701 {1188}	3683 {1910}	(141) {(67)}	(293) {(429)}	(48) {(58)}
बीमांकित (लाभ / हानि)	(205) {2266}	835 {2132}	616 {1118}	(1) {4288}	12 {64}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	14638 {13741}	3714 {5875}	4598 {3692}	10330 {9382}	805 {735}

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(ऋण शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	14638 {13741}	3714 {5875}	4598 {3692}	10330 {9382}	805 {735}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(14638) {(13741)}	(3714) {(5875)}	(4598) {(3692)}	(10330) {(9382)}	(805) {(735)}
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध सकल देयता	(14638) {(13741)}	(3714) {(5875)}	(4598) {(3692)}	(10330) {(9382)}	(805) {(735)}

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(ऋण शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
चालू सेवा लागत	703 {675}	216 {328}	135 {117}	492 {462}	47 {43}
ब्याज लागत	1099 {939}	470 {417}	295 {198}	751 {396}	59 {53}
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ) / हानि	(205) {2266}	835 {2131}	616 {1118}	1 {4288}	12 {64}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में चिन्हित व्यय	1597 {3880}	1521 {2876}	1047 {1433}	1242 {5142}	161 {118}

अन्य प्रकटन

उपदान	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14638	13741	11049	9611	8319
बीमांकित (लाभ) / हानि	(205)	2266	593	598	743
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1597	3880	1917	1765	1788

पीआरएमबी	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4598	3692	2326	2027	1759
बीमांकित (लाभ) / हानि	616	1118	118	89	58
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1047	1433	357	300	254

छुट्टी	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3714	5875	4909	4266	3985
बीमांकित (लाभ) / हानि	835	2131	938	740	820
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1521	2876	1562	1308	1325

अस्वस्थता अवकाश	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	10330	9382	4664	4594	3936
बीमांकित (लाभ) / हानि	(1)	4288	(467)	176	189
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	1242	5147	146	736	691

बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	805	735	632	654	497
बीमांकित (लाभ) / हानि	12	64	(86)	125	(25)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में अभिस्वीकृत व्यय	161	118	5	211	50

15. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र. सं.	नीति	प्रभाव
1.	नीति संख्या 10(xii) में ''लाभ का उपयुक्त % '' शब्दों के स्थान पर ''कर पश्चात लाभ (पीएटी) का उपयुक्त ''शब्द परिवर्तित कर दिया गया है।''	कोई प्रभाव नहीं

16.असाधारण मदें

16.1 बार–बार स्मरण कराने तथा अनुसरण करने के बाद भी बीवाईपीएल (बीएसई एवं यमुना पावर लिमिटेड) से वसूली में काई सुधार नहीं आया। तदन्तर टिहरी और कोटेश्वर एचईपी, दोनों स्थानों से विद्युत आपूर्ति बन्द करने के प्रयास किए गए।

माननीय डीईआरसी(दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) ने अपने दिनांक 14.03.2016 के आदेश क्रमांक 509 द्वारा मैसर्स बीवाईपीएलबी की आपूर्ति बंद करने के निदेश दिए तथा मैसर्स बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) के पक्ष में पुनःआबंटन किया गया।

कंपनी की विशिष्ट लेखा नीति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक पुराने बकायादारों को शंकास्पद मानकर प्रावधान किए जाने हैं, वर्तमान प्रकरण में मैसर्स बीवाईपीएल से वसूली योग्य बकाया राशि रू. 23984 लाख का प्रावधान किया गया है। यद्यपि राशि तीन वर्ष से अधिक अवधि की नही है तथा माननीय डीईआरसी के आदेशानुसार विद्युत आपूर्ति बंद किए जाने के फलस्वरूप 480 लाख रू. की आशोध्य एलसी का प्राप्त न होना एक असाधारण स्थिति है।

16.2 बकायादारों में रू. 46125 लाख की नियामक परिसंपत्तियां जिसमें रू. 3822 लाख प्राइवेट डिस्काम यथा मैसर्स बीआरपीएल तथा टाटा पावर इंजीनियरिंग की है। पुराने अनुभव से, असाधारण प्रकरण के रूप में पुराने बकायादार (नियामक परिसंपत्तियां) के खिलाफ तीन वर्ष से अधिक अवधि, रू. 868 लाख का प्रावधान खाता बहियों में किया गया है।

16.3 उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 2883/II–2015/01(50)/2011 दिनांक 07–11–2015 तथा 342/XXXVI(3)/2015(1)/2014 दिनांक 03.01.2015 जारी करके जल (विद्युत) उत्पादक केन्द्रों को निर्दिष्ट पदाधिकारी के पास गैर–उपभोज्य उपयोग पर जल–कर तथा हरित ऊर्जा उपकर (ग्रीन एनर्जी सेस) भुगतान हेतु पंजीकृत कराने की सलाह दी गयी है। यह कर सीईआरसी के अनुमोदन से हितकारियों से वसूली योग्य है। टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड सरकार की इस लेवी के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की है। मामला न्याय–निर्णयाधीन है। चूंकि यह नई लेवी है। पूर्वोक्त अधिसूचना से उत्पन्न असाधारण स्थिति तथा इस अनुदार दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए खाता–बहियों में रू. 9977 लाख की राशि उपलब्ध कराई गयी है।

17. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(रूपए लाख में)

		2015-16	2014-15
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	10*	10
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन	6	5
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	2

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

18.कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं निम्नानुसार है

(रूपए लाख में)

	विवरण	2015-16	2014-15
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	27	27
	परामर्श और व्यावसायिक प्रभार	249	253
	प्रबंधन / प्रतिबद्धता शुल्क	308	257
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	0	0
	माल का आयात	8781	17319
	अन्य (अग्रिम)	0	4
	सम्मेलन के लिए नामांकन	0	0
	साफ्टवेयर की खरीद	0	0
	अन्य	3746	1271
	कुल	**13111**	**19131**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
	i) पूंजीगत माल	8809	17336
	ii) अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**8809**	**17336**
घ	**प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
	i) आयातित (लाख रूपए में)	50	60
	(%)	6	11
	ii) देशी (लाख रूपए में)	749	568
	(%)	94	89
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0**	**0**

19. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2015-2016	2014-2015
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1400 मे.वा.	1400मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) – (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
	उत्पादन	4348.29007	4214.18286
	बिक्री(गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	3812.82617	3690.17112

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

20. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077468

दिनांक : 27.08.2016
स्थान : ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के मामले के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी और अशुद्धि से मुक्त हों, को तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामले, जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण समग्र गलतबयानी से मुक्त हैं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

(क) कंपनी के कार्य के संबंध में तुलनपत्र के मामले में, दिनांक

31 मार्च, 2016 को ;

(ख) हानि व लाभ विवरणों के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

(क) रू. 23984 लाख रूपए के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के बारे में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29 के पैरा 16.1 में मैसर्स वीआईपीएल की प्राप्ति योग्य बकाया हेतु प्रावधान किए गए हैं यद्यपि यह अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं हो।

(ख) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29 के पैरा 16.3 में गैर–उपभोगीय प्रयोग संबंधी जल कर एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाए गए रू. 9791 लाख के ग्रीन एनर्जी उपकर (सेस) के संबंध में बहियों में प्रावधान कर दिए गए हैं। तथापि, कंपनी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा उपर्युक्त लगाए गए कर के विरूद्ध याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है। इसे अंतिम रूप देने पर प्रशुल्क (टैरिफ) में शामिल करने के लिए, यदि अपेक्षित हुआ, मामले को सीईआरसी विनियामक प्राधिकरण के साथ उठाया जा सकता है।

(ग) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 20.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति सं. 10(i) के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर बिक्री को मान्यता दे दी है।

(घ) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29 के पैरा 2, जिसमें दावे/माध्यस्थतम कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवर ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा कोटि में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ड़.) रू. 867.85 लाख के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 11 में उत्तराखंड राज्य में स्थित मलारी झेलम एवं झेलम तमक जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में चल रहे पूंजीगत कार्य शामिल है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन विचाराधीन है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारतीय केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 द्वारा यथापेक्षित विवरण उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में **''अनुलग्नक क''** में प्रस्तुत हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन **''अनुलग्नक–ख''** में किए है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा विवरणों के अनुरुप है।

   (घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

   (ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई. दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान जो निदेशकों की अनर्हता से संबद्ध है, कंपनी पर लागू नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक

नियंत्रणों एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी प्रचालनों के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट **''अनुलग्नक ग''** देखें !

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय में और बेहतर जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार शामिल किया जाना है–

i. कंपनी ने इसी वित्तीय स्थिति पर इस वित्तीय विवरण पर लंबित कानूनी अड़चनों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है– वित्तीय विवरण की टिप्पणी 29.2 का संदर्भ लें;

ii. कंपनी के पास गौंण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में पहले से कोई भी वास्तविक घाटा नहीं हैं।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को किसी प्रकार की राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

पी डी अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 27.08.2016

अनुलग्नक–क

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट भाग

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i.(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बाँध परियोजना अथवा टिहरी जल विकास परियोजना के नाम पर प्राप्त की गयी। टिप्पणी क्रमांक 29.5(i) एवं (ii) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 615.24 हेक्टे. फ्री होल्ड तथा 1.875 हेक्टे. लीज भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई की गयी।

ii. वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है। वस्तु सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी चालित लागत रिकार्ड का रखरखाव कर रही है। वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

vii.(क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2016 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित व्यापार कर जमा नहीं किए गए हैं।

वित्त वर्ष	धनराशि (रू. लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2012-13 से 2014-15	13.37	सेवा कर	टीएचडीसीआईएल ने मांग के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील दायर की है।

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जिस कार्य के लिए धन लिया था वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का सं. जीएस आर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची v में प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों का सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 117 एवं 188 के अनुरूप है तथा ऐसे लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई प्रोफरेशियल अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिवेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया अतएव आदेश के खं 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

पी डी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
सदस्यता सं. 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक : 27.08.2016

अनुलग्नक–'ख'

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' में संदर्भित पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–'ख')

क्र. सं.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	लेखांकन एवं वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी ने स्वामित्व/लीज विलेख को क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड कराने के लिए अनुमति दे दी यदि नही तो कृपया फ्री होल्ड और लीज होल्ड कराने योग्य भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के परिवर्तित नाम से पूर्व फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि या तो टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम से प्राप्त की गई। स्वामित्व विलेख को नए नाम में परिवर्तित कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है अर्थात फ्रीहोल्ड भूमि 615.24 हेक्टेयर तथा लीज होल्ड भूमि 1.875 हे. का विवरण टिप्पणी 29.5(i)(ii) में दिया गया है।	पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तन कराने हेतु राजस्व अधिकारियों के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है।	शून्य
2	क्या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने संबंधी कोई प्रकरण है यदि हां तो उसके कारण और राशि बताए।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि माफ करने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है।	लागू नहीं	शून्य
3	क्या अन्य पक्ष के पास उपलब्ध वस्तुसूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित अभिलेख रखा जा रहा है।	हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, अन्य पक्ष के पास उपलब्ध वस्तुसूचियों का समुचित अभिलेख रख रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई संपत्ति उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई।	समुचित अभिलेख का रख–रखाव किया जा रहा है।	शून्य

कृते पी डी अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
सदस्यता सं. 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक : 27.08.2016

अनुलग्नक–ग

टीएचडीसी इंडिया की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण की इसी तिथि को समाप्त वर्ष की अपनी लेखापरीक्षा के साथ की।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया है तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन की जोखिम मूल्यांकन की वास्तविक जोखिम का निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय लेखांकन की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी का वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय लेखांकन तैयार करने हेतु लेन–देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय–व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों

का अनाधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय लेखांकन पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथासमय पता लगाना।

वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमा

मिलीथगत या नियंत्रण के अपुष्ट प्रबंधन सहित वित्तीय लेखांकन के वित्तीय नियंत्रण पर निहित सीमाओं के कारण गलती या धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत बयानी हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधि के वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन में प्रक्षेपण भी इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक नियंत्रण दशाओं में परिवर्तन या नीतियों या प्रक्रिया विधियों के अनुपालन के स्तर में कमी अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2016 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

कृते पी डी अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001049सी

(तरूण गुप्ता)
सदस्यता संख्या – 077468

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक : 27.08.2016

गोपनीय

No. MAB-III/Rep/A/cs-THDC/01-79/2016-17/943

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–।।।
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

Indian Audit & Accounts Department
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक / Dated 16 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषयः 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूं। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीया,
ह./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Tel.: 011-23239227, Fax: 011-23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण इस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/–

(रितिका भाटिया)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 16 सितंबर, 2016

नई टिहरी टाउन का विहंगम दृश्य

A panoramic view of New Tehri Town

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)
Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road,
Rishikesh - 249201 (Uttarakhand)
Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2430753 Fax : (0135) 2439442, 2439408
CIN : U45203UR1988GOI009822 Website: http://thdc.co.in